हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकूला ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्नेह शिक्षा समिति,
फरीदाबाद

क्रमांक 77389-392/EW/ए-2/94 दिनांक 24-3-95

विषय:- 10 जमा 2 की शिक्षा प्रणाली शुरु करने की अनुमति प्रदान करने बारे ।

. आदर्श. विद्या. निकेतन. सी0. सै0. स्कूल, . सै0-19. फरीदाबाद..........

को वर्ष 1994-95 के लिए (दिनांक 1-4-94 से 31-3-95 तक) 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली शुरु करने की इस बोर्ड द्वारा अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है । जो कि निम्नलिखित अंकित शर्तों (क्रम सं0 1 से 15) के आधार पर होगी ।

1- आपका विद्यालय राज्य सरकार/इस बोर्ड से किसी प्रकार के अनुदान/वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेगा और इस बारे नार्म अनुसार छात्रों को सभी सुविधाएं अपने खर्चे पर प्रदान करेगा ।

2- 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत उन्हीं शिक्षकों को लगाया जाए जिन्होंने सम्बन्धित विषय में एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0काम की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हों ।

3- सभी छात्रों के लिए फर्नीचर इत्यादि का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए ।

4- आपके विद्यालय को 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत ---------------- आर्ट एण्ड कामर्स ------वर्ग शुरु करने की अनुमति प्रदान की जाती है । परन्तु यह सुनिश्चित किया जाए कि टीचिंग/लर्निंग के लिए आवश्यक साधन/सुविधाएं आपके विद्यालय में उपलब्ध हों ।

5- यह भी सुनिश्चित करें कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में प्रति छात्र 6 के हिसाब से पुस्तकें होनी चाहिए ।

6- बच्चों की संख्या अनुसार भवन का कवर्ड एरिया बढ़ाया जाए ।

7- अध्यापकों की नियुक्तियां हरियाणा सरकार के नियमानुसार ही की जाए तथा ट्रेण्ड अध्यापकों को लगाया जाए ।

8- स्टाफ को वेतन बैंक चैक के द्वारा ही दिया जाये ।

9- समय समय पर मान्यता के सम्बन्ध में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड/हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई हिदायतें/निर्णय आप पर बाध्य होंगे ।

10- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड/हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जायें ।

11- हरियाणा एजूकेशन कोड की धारा 214, 215 एवं 222 की दृढ़ता से पालना की जाये ।

12- संस्था में कार्यरत स्टाफ का छः मास के वेतन के बराबर बकाया राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम बैंक में प्लैज करवायें ।

13- यदि आप की मैनेजिंग कमेटी शिक्षा विभाग से अनुमोदत नहीं है तो इसे इस बोर्ड से अनुमोदित करवाएं ।

14. नार्म अनुसार भवन का कवर्ड एरिया बढ़ाया जाए ।..................

15. संविधान की अनुमोदित प्रति भेजें ।

....

यदि किसी समय यह पाया गया कि प्रबन्धक/विद्यालय मान्यता सम्बन्धी शर्तों का उल्लघंन कर रहे हैं तो मान्यता वापिस ले ली जाएगी । उपरोक्त शर्तों को कम से कम दो मास की अवधि में पूरा करके इस कार्यालय को सूचित किया जाए ।

सहायक सचिव (शै0)
कृते: सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक................./ए-2/94 दिनांक ....

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

1- प्राचार्य... आदर्श विद्या निकेतन सी0 से0 स्कूल, से0-19 फरीदाबाद
2- निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
3- निदेशक, एस0सी0ई, आर0टी0,गुड़गांव ।
4- जिला शिक्षा अधिकारी.......फरीदाबाद..........
5- उप-मण्डल शिक्षा अधिकारी.......फरीदाबाद........
6- निजि सचिव (सचिव कार्यालय)
7- सहायक (अध्यक्ष कार्यालय)
8- सहायक सचिव (10 जमा 2)
9- सहायक-1 (शैक्षिक)

सहायक सचिव(शै0)
कृते: सचिव